सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 101/15 **निर्णय दिनांक – 05.06.2018**

1. कुशाल सिंह पुत्र केशरीसिंह जाति राजपूत निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. जन्नत पत्नी वली खॉ जाति मुसलमान निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. रामनारायण पुत्र मोतीलाल जाति महेश्वरी निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर।
3. आईदान पुत्र चौथमल जाति महेश्वरी निवासी सूडसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. किसनाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. दलपत सिंह पुत्र पन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी शेरूणा हाल निवासी शेरूणा हाऊस, प्रोढ़ शिक्षण संस्थान के पास, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूँगरगण।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़
दिनांक 09–05–2013

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री रविराज सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 09–05–2013 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा

मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से अपीलांट का वाद खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में पक्षकारों के मध्य मुख्स विवाद पक्षकारान् के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसमें राज्य हित किसी भी प्रकार से निहित नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के वाद का निर्णय गुणावगुण पर नहीं करते हुए इस आधार पर किया गया है कि वादी पक्ष द्वारा तलबी हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये है अतः वादी पक्ष की उदासीनता एवं लापरवाही के मध्येनजर वादी इसी स्तर पर खारित किया जाता है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा समय समय अदालत मातहत के समक्ष समन प्रस्तुत किये गये थे। उक्त प्रस्तुत समनों की तामील के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4, 5, 6 पर तामील हो गई थी। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पर तामील नहीं हुई थी। जिसकी तामील हेतु समन प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत को चाहिए था कि यदि किसी कारण वश उक्त समन तामील नहीं हो पा रही है तो जरिये रजिस्टर्ड डाक या स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से तामील करवाई जा सकती थी। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपनी आदेशिका में इस प्रकार के कोई आदेश पारित नहीं किये गये है। तामील करवाने में किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो उसका दण्ड पक्षकार को नहीं मिल सकता। अपीलांट ने अपने अधिवक्ता को हर प्रकार से तामील कराने हेतु अधिकृत कर रखा था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का जवाब प्रस्तुत हो चुका था

जो पत्रावली में शामिल है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वाद के संबंध में तमाम प्रक्रिया को पूरी करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करते। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके द्वारा पक्षकारों की तामील नहीं करवाई जा रही है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद पक्षकारों के मध्य सीमओं के विवाद से संबंधित था। जिसमें सभी पक्षकारों का जवाब, सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तामील प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तामील के अभाव में खारिज किया गया था जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 न्यायालय हाजा के समक्ष भी बाद तामील उपस्थित नहीं आया है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने से गुरेज कर रहे है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वे पक्षकारों की गुणावगुण पर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता द्वारा नहीं दिये जाने के कारण अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अदालत मातहत द्वारा भी प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं करते हुए तकनीकी बिन्दु का सहारा लेते हुए किया गया है। इस संबंध में विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ तकनीक बिन्दु को गौण रखा जाना चाहिए। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत

किया गया है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष समन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया गया है कि वे स्वयं अपने वाद के प्रति लापरवाह व उदासीन रहे है इसलिए अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण वर्ष 2009 से पक्षकारों की तलबी में चल रहा था। अपीलांट/वादी द्वारा जानबूझकर पक्षकारों की तलबी नहीं करवाई जाने के कारण अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट/वादी अपने वाद को चलाने में उदासीन एवं लापरवाह रहे है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व आदेशिकओं का अवलोकन किया। अदालत मातहत की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 6 उपस्थित आ चुके थे तथा प्रतिवादी

संख्या 4 व 5 द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका था। प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 23—05—2012 को न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के रजिस्टर्ड समन प्रस्तुत किये गये थे, उक्त समन दिनांक 09—07—2012 को अदम तामील प्राप्त होने पर पुनः सही पते पर प्रस्तुत करने के आदेश प्रसारित किये गये थे।

(3) तत्पश्चात् की आदेशिकओं के अवलोकन से यह भी स्थिति स्पष्ट होती है कि अदालत मातहत की पत्रावली में दिनांक 12—10—12 से निरन्तर 04—04—13 तक पीठासीन अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं आये व आदेशिकाओं पर संबंधित रीडर के हस्ताक्षर अंकित है। तदुपरान्त दिनांक 09—05—2013 को पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलांट/वादी का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादी स्वयं अपने वाद के प्रति लापरवाही व उदासीन रहने के कारण खारिज किया जाता है। अदालत मातहत का उक्त आदेश किसी भी परिस्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं कहा जा सकता।

(4) प्रकरण में यह भी उल्लेखनी है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तामील प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 न्यायालय हाजा के समक्ष भी बाद तामील उपस्थित नहीं आये है। इस प्रकार यह तथ्य साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने से गुरेज कर रहे है।

(5) ऐसी स्थिति में चूंकि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकारों का मुख्य विवाद पक्षकारों के धारण में निहित भूमि की सीमाओं का रहा है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित हो, वहॉ मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर वाद को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 09—05—2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तामील जरिये रजिस्टरी अथवा दैनिक अखबार में साया करवाते हुए सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर